

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड
उद्यान भवन-चौबटिया, रानीखेत

☎ 05966-220260,222792 ☎ 05966-221074

ई-मेल dirudyanhorti@gmail.com


पत्रांक 405/कोरोगेटेड बॉक्स पंजी0/2022-23,

दिनांक:चौबटिया : 04 :मई: 2023

अभिव्यक्ति की अभिरूचि (EoI) की विज्ञप्ति

निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड, उद्यान भवन चौबटिया रानीखेत, अल्मोड़ा के द्वारा विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में किसानों को आड़ू, प्लम, खुबानी, नाशपाती, आम, लीची, अमरूद इत्यादि फलों की पैकिंग हेतु कोरोगेटेड बॉक्स एवं सेब फलों की पैकिंग हेतु कोरोगेटेड बाक्स मय एप्पल ट्रे से लाभान्वित करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक- 70/कोरोगेटेड बॉक्स पंजी0/2023-24 दिनांक 06.04.2023 से विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर पंजीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे, जिसके क्रम में प्राप्त आवेदनों का विभागीय समिति द्वारा परीक्षण एवं फर्मो/कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराये गये नमूनों के परीक्षणोपरान्त मात्र 03 फर्म/कम्पनियों सफल हो पाई, जिनका पंजीकरण इस कार्यालय के पत्रांक 363/कोरोगेटेड बाक्स/2023-24, दिनांक 01.05.2023 से कर दिया गया है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए व कास्तकारों को चयन के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने हेतु पुनः अभिव्यक्ति की अभिरूचि (EoI) के माध्यम से कोरोगेटेड बॉक्स के मूल निर्माता फर्मो/कम्पनियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन के प्रारूप व शर्तें वेबसाईट www.shm.uk.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

पंजीकरण हेतु आवेदन दिनांक 15.05.2023 अपराहन 05:00 बजे तक निदेशक, बागवानी मिशन कार्यालय, राजकीय उद्यान सर्किट हाउस, देहरादून में जमा किये जा सकते हैं, जिन्हें दिनांक 16.05.2023 को प्रातः 11:00 बजे विभागीय समिति द्वारा खोला जायेगा तथा उसी दिन फर्मो/कम्पनियों के द्वारा दी गई दरों के सम्बन्ध में समिति के द्वारा मोल-भाव (Negotiation) किया जायेगा।


निदेशक
उद्यान

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड
उद्यान भवन-चौबटिया, रानीखेत

☎ 05966-220260,222792 ☎ 05966-221074

ई-मेल dirudyanhorti@gmail.com

विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं में कास्तकारों को फलों की पैकिंग हेतु कोरोगेटेड बॉक्सों से लाभान्वित करने हेतु अभिव्यक्ति की अभिरुचि (EoI) के माध्यम से मूल निर्माता फर्मों/कम्पनियों की दरों एवं विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के पंजीकरण (Empanelment) हेतु शर्तें एवं प्रतिबन्ध।

विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में किसानों को आड़ू, प्लम, खुबानी, नाशपाती, आम, लीची, अमरूद इत्यादि फलों की पैकिंग हेतु कोरोगेटेड बॉक्स एवं सेब फलों की पैकिंग हेतु कोरोगेटेड बाक्स मय एप्पल ट्रे से किसानों को लाभान्वित करने हेतु अभिव्यक्ति की अभिरुचि (EoI) के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के विभागीय समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त की गई संस्तुति व नमूनों के परीक्षणोपरान्त मूल निर्माता फर्म/कम्पनियों की दरों एवं विशिष्टियों का पंजीकरण इस कार्यालय के पत्रांक- 363/कोरोगेटेड बॉक्स/2022-23 दिनांक: 01.05.2022 से किया गया है। कास्तकारों को कोरोगेटेड बॉक्सों के चयन हेतु अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने हेतु पुनः मूल उत्पादक फर्म/कम्पनियों से आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं। पंजीकरण की शर्तें, आवश्यक प्रपत्र एवं प्रतिबन्ध वेबसाईट www.shm.uk.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

(अ) पंजीकरण (Empanelment) की शर्तें:-

1. आवेदन दो भागों में स्वीकार की जायेगी, जिसमें प्रथम प्रपत्र- 1 में तकनीकी प्रपत्र तथा दूसरे प्रपत्र -2 में वित्तीय प्रपत्र होगी। दोनों प्रपत्रों को आवश्यक अभिलेखों सहित निर्धारित अन्तिम तिथि दिनांक 15.05.2023 के सायं 5:00 बजे तक आवेदक द्वारा डॉक से या दस्ती में निदेशक, बागवानी मिशन कार्यालय, राजकीय उद्यान सर्किट हाउस, देहरादून में जमा किया जायेगा।
2. प्रक्रिया शुल्क ₹0 2000.00 + 18% GST = 2360/- का बैंक का ड्राफ्ट जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, चौबटिया, रानीखेत, अलमोड़ा के नाम रानीखेत में देय हो, आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। प्रक्रिया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
3. प्राप्त आवेदनों को दिनांक 16.05.2023 को पूर्वान्ह 11:00 बजे विभागीय समिति द्वारा खोला जायेगा तथा उसी दिन फर्मों/कम्पनियों के प्रतिनिधियों से दरों के निर्धारण हेतु मोलभाव (Negotiation) हेतु वार्ता की जायेगी।
4. आवेदन के साथ निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, चौबटिया, रानीखेत, अल्मोड़ा के नाम ₹0 2.00 लाख की बैंक गारन्टी या सावधी जमा रसीद, जो दिनांक 31.03.2024 तक वैध हो संलग्न करना आवश्यक है। बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, चौबटिया, रानीखेत, अल्मोड़ा के नाम बन्धक हो।
5. उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में एक समान दरों पर कोरोगेटेड बॉक्स एवं कोरोगेटेड बॉक्समय एप्पल ट्रे की आपूर्ति (मूल दर + GST) F.O.R. (डेस्टीनेशन) जिला मुख्यालय सहित देनी होगी।
6. पंजीकरण हेतु मूल उत्पादक कम्पनी/फर्म का टर्न ओवर वर्ष (2021-22) का ₹0 2.00 करोड़ (₹0 दो करोड़)मात्र होना आवश्यक है, जिस हेतु सी0ए0 द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

7. विभागीय समिति की संस्तुति के उपरान्त दरें स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड के पास सुरक्षित रहेगा। साथ ही किसी भी प्रकार की अपरिहार्य परिस्थितियों में पंजीकरण प्रक्रिया एवं पंजीकरण की व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त/रद्द करने का अधिकार भी निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड के पास सुरक्षित रहेगा। किसी भी विवाद की स्थिति में निदेशक, उद्यान का निर्णय अन्तिम होगा तथा न्यायालय क्षेत्र अल्मोड़ा होगा।
8. फर्म को पैन एवं जी.एस.टी. प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
9. फर्म/कम्पनी के विरुद्ध किसी प्रदेश में कोरोगेटेड बॉक्स एवं कोरोगेटेड बॉक्समय एप्पल ट्रे की आपूर्ति विषयक कोई विवाद/विधिक कार्यवाही/अपराधिक कार्यवाही एवं फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है या नहीं जैसी भी स्थिति हो सूचित करते हुए रू0 100.00 के (नोटेराइज्ड) नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
10. फर्म/कम्पनी/व्यवसायी को कोरोगेटेड बॉक्स एवं कोरोगेटेड बॉक्समय एप्पल ट्रे की दी गई दरों के सम्बन्ध में रू0 100.00 के नोटेराइज्ड शपथ पत्र में शपथ लेनी होगी कि उनके द्वारा पंजीकरण हेतु दी गई दरें न्यूनतम हैं तथा उनके द्वारा किसी अन्य राज्य/संस्था/विभाग को दी गई दरों से कम दरों पर पंजीकरण की अवधि तक आपूर्ति नहीं की जायेगी।
11. तकनीकी प्रपत्र भाग-1 के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले सभी प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां पठनीय होनी नितान्त आवश्यक है। साथ ही फर्म/कम्पनी के समस्त डाक्यूमेंट्स को फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा सील सहित प्रतिहस्ताक्षरित (Counter Signature) कर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा पंजीकरण पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों को खोलने के दिन यदि राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है, तो ऐसी दशा में पंजीकरण को खोलने की तिथि हेतु अगला कार्य दिवस निर्धारित होना समझा जाय।

(ब) आड़ू, प्लम, खुबानी, नाशपाती, आम, लीची, अमरूद इत्यादि फलों की पैकिंग हेतु कोरोगेटेड बॉक्स एवं सेब फलों की पैकिंग हेतु कोरोगेटेड बॉक्स मय एप्पल ट्रे आपूर्ति की शर्त :-

1. विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कास्तकार अपनी आवश्यकतानुसार पंजीकृत किसी भी फर्म/कम्पनी से कोरोगेटेड बॉक्स/कोरोगेटेड बॉक्स मय एप्पल ट्रे क्रय करने हेतु स्वतन्त्र होगा। विभागीय समिति के सत्यापन उपरान्त सन्तोषजनक आख्या उपलब्ध कराने पर कोरोगेटेड बॉक्स/कोरोगेटेड बॉक्स मय एप्पल ट्रे पर देय राजसहायता भुगतान कृषक को डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जायेगा। कृषक के लिखित अनुरोध करने के उपरान्त ही राजसहायता की धनराशि सम्बन्धित फर्मों/कम्पनी को डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।
2. कोरोगेटेड बॉक्स/कोरोगेटेड बॉक्स मय एप्पल ट्रे की आपूर्ति के आदेश/स्वीकृति जारी होते ही आपूर्ति का कार्य प्रारम्भ करते हुये निर्धारित समय के अन्तर्गत मानकानुसार आपूर्ति करनी होगी।
3. कोरोगेटेड बॉक्स/कोरोगेटेड बॉक्स मय एप्पल ट्रे की आपूर्ति उपरान्त सत्यापन हेतु जनपद स्तरीय गठित समिति की सन्तोषजनक आख्या प्राप्त होने पर देय राजसहायता की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
4. फर्म/कम्पनी/व्यवसायी द्वारा कोरोगेटेड बॉक्स/कोरोगेटेड बॉक्स मय एप्पल ट्रे की आपूर्ति में गुणवत्ताहीन सामग्री के प्रयोग एवं मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त

शिकायत के प्रमाणित होने पर सम्बन्धित फर्म/कम्पनी की पंजीकरण निरस्त कर दी जायेगी और ऐसी फर्म/कम्पनी को काली सूची में रखे जाने का निर्णय भी लिया जा सकता है। आवश्यकतानुसार जमानत की धनराशि भी जब्त की जा सकती है।

5. कोरोगेटेड बॉक्स/कोरोगेटेड बॉक्स मय एप्पल ट्रे के एक-एक नमूना पंजीकरण के समय कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन में उपलब्ध कराना होगा तथा आपूर्ति के समय लौटवार एक-एक नमूना सम्बन्धित मुख्य/जिला उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार को भी उपलब्धत कराना होगा, जिसका परीक्षण सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा व परीक्षण शुल्क का भुगतान सम्बन्धित फर्म/कम्पनी के द्वारा किया जायेगा।
6. किसानों को आपूर्ति उपरान्त सेवा आसानी से प्रदान कराने के उद्देश्य से फर्म/कम्पनी/व्यवसायी का कार्यालय उत्तराखण्ड राज्य में होना आवश्यक है।
7. फर्म/कम्पनी को कोरोगेटेड बॉक्स/कोरोगेटेड बॉक्स मय एप्पल ट्रे की आपूर्ति हेतु फर्म/कम्पनी को संलग्न पंजीकरण वित्तीय प्रपत्र -2 पर कोरोगेटेड बॉक्स/कोरोगेटेड बॉक्स मय एप्पल ट्रे के अनुसार प्रति कोरोगेटेड बॉक्स की दर + जी0एस0टी0 FOR जिला मुख्यालय सहित अंकित करनी होगी।
8. यदि कोरोगेटेड बॉक्स/कोरोगेटेड बॉक्स मय एप्पल ट्रे के निर्माता फर्म/कम्पनी देश के बाहर की होने पर उनके द्वारा देश में किसी फर्म/कम्पनी को Authorized Dealership प्रदान की गई हो, जिसके माध्यम से उक्त विदेशी फर्म/कम्पनी देश में कोरोगेटेड बॉक्स/कोरोगेटेड बॉक्स मय एप्पल ट्रे की आपूर्ति करना चाहती हो। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित फर्म/कम्पनी को इस आशय का प्रमाण पत्र जो कि मूल विनिर्माता/व्यवसाई द्वारा दिया गया हो, पंजीकरण के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
9. फर्म/कम्पनी को कोरोगेटेड बॉक्स/कोरोगेटेड बॉक्स मय एप्पल ट्रे के निर्माण व आपूर्ति का न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव होना चाहिये। अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त किया गया हो, संलग्न करना होगा।
10. फर्म/कम्पनी को आपूर्ति उपरान्त सेवा की सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। फर्म/कम्पनी को 01 वर्ष की गारन्टी/वारन्टी प्रदान करनी होगी तथा निःशुल्क सेवा की सुविधा प्रदान करनी होगी।
11. पंजीकरण के पश्चात् यदि पंजीकृत फर्म/कम्पनी द्वारा कोरोगेटेड बॉक्स/कोरोगेटेड बॉक्स मय एप्पल ट्रे की आपूर्ति में यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही किये जाने के कारण विवाद की स्थिति में फर्म/कम्पनी को निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड का फैसला अन्तिम रूप से मान्य होगा।
12. फर्म/कम्पनी द्वारा आपूर्ति किये गये कोरोगेटेड बॉक्स/कोरोगेटेड बॉक्स मय एप्पल ट्रे की गुणवत्ता एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में शिकायत मिलने पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी।
13. भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स/ड्यूटिज आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढ़ोतरी/परिवर्तन किया जाता है, तो फर्म/कम्पनी के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड, उद्यान भवन चौबटिया रानीखेत, अल्मोड़ा उत्तराखण्ड को तत्काल उपलब्ध करायेगें।
14. फर्म/कम्पनी के द्वारा कृषकों को कोरोगेटेड बॉक्स/कोरोगेटेड बॉक्स मय एप्पल ट्रे के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी निःशुल्क प्रदान करनी होगी।
15. कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार पंजीकरण की शर्तों/नियमों में तदनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

15-आपूर्ति किये जाने वाले कोरोगेटेड बॉक्स पर लगने वाले पेपर का Inner and Outer Specication निम्नवत होना चाहिए :-

200 GSM not less than 30 BF white craft (imported)

2nd paper : 180 GSM 20 BF

3rd Paper : 180 GSM 20 BF सफेद रंग की Imported 200 GSM का वर्जिन क्राफ्ट पेपर लगाना होगा।

16-आड़ू, प्लम, खुबानी, नाशपाती, आम, लीची, अमरूद इत्यादि फलों की पैकिंग हेतु कोरोगेटेड बॉक्स आपूर्ति हेतु तकनीकी विशिष्टियाँ-

Technical Specification for Corrugated Box

1	Dimension (In cm)	
a	Outer	41X25X20
b	No. of Plies	5
2	Description – a- Duplex 300 gsm hwc	
	b- Fourply 180/22bf	
3	Bursting strength kg/sq cm for 2 pieces inner as well as outer taken together	16-18 (±5%)
4	Compression strength (in kg) of complete carton	450 (± 5%)
5	Moisture contents	8% to 10%
6	Copp value (30 Minutes)	Less than 170 gsm
7	Printing	Four color printing
8	Design and printing matter of box	Enclosed with tender's terms and condition's

17-सेब फलों की पैकिंग हेतु कोरोगेटेड बॉक्समय एप्पल ट्रे आपूर्ति हेतु तकनीकी विशिष्टियाँ-

Technical Specification for Apple Trays

1	Dimension (In mm)	Length 490 Breadth 290
2	Weight of Trays	95-100 gm/tray
3	Holes if any	Nil
4	Water Repellency	15 ml water in one hour as per specification
5	Weight bearing capacity	6 kgs per tray

Technical Specification for 20 kg Apple Corrugated Boxes (Telescopic Box)


1	Dimension (In mm)	
	Outer	510x310x280
	Inner	500X300X280
2	No. of Ply	3 Ply (outer) + 3 Ply (Inner) = 6 Ply
3	Bursting strength kg/sq cm for 2 pieces inner as well as outer taken together (Board)	20 (±5%)
4	Compression strength (in kg) of complete carton	Not less than 600
5	Moisture contents	Not more than 8%
6	Cobb value (30 Minuts) of Paper	Approx 140 GSM
7	Printing	offset printing
8	Design and printing matter of box	Enclosed with tender`s terms and condition`s

9	Weight	950 – 1000 gm/box (+2%)
10	Tare weight of cartons & Dare weight of cartons	950 – 1000 gm (±2%)
11	Paper specification	200 GSM not less than 30 BF white craft (imported) 2 nd paper : 180 GSM 20 BF 3 rd Paper : 180 GSM 20 BF
	Outer	
	Inner	200 GSM not less than 30 BF white craft (imported) 2 nd paper : 180 GSM 20 BF 3 rd Paper : 180 GSM 20 BF

Technical Specification for 10Kg apple Corrugated Boxes (Telescopic Box)

1	Dimension (In mm)	
	Outer	510x310x150
	Inner	500x300x150
2	No. of Ply	3 Ply (outer) + 3 Ply (Inner) = 6 Ply
3	Bursting strength kg/sq cm for 2 pieces inner as well as outer taken together	10(+5%)
4	Compression strength (in kg) of complete carton	
5	Moisture contents	8% to 10%
6	Cobb value (30 Minuts)	Less than 170 gsm
7	Printing	offset printing
8	Design and printing matter of box	Enclosed with tender`s terms and condition`s
9	Weight	565 - 610gm/box (+2%)
10	Tare weight of cartons & Dare weight of cartons	565 - 610 gm/box (±2%)
11	Paper specification	200 GSM not less than 30 BF white craft (imported) 2 nd paper : 180 GSM 20 BF 3 rd Paper : 180 GSM 20 BF
	Outer	
	Inner	200 GSM not less than 30 BF white craft (imported) 2 nd paper : 180 GSM 20 BF 3 rd Paper : 180 GSM 20 BF

पंजीकरण की वैधता तिथि दिनांक 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी रहेंगी ।


निदेशक
उद्यान

**निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड
उद्यान भवन-चौबटिया, रानीखेत**

☎ 05966-220260,222792 📠 05966-221074

ई-मेल dirudyanhorti@gmail.com

पंजीकरण तकनीकी प्रपत्र-1

क्र.सं०	विवरण	अभ्युक्ति संलग्न है या नहीं	पृष्ठ संख्या
1-	फर्म/कम्पनी की विस्तृत प्रोफाइल संलग्न करनी होगी, जिसमें फर्म/कम्पनी के कार्यालय का पता, फर्म/कम्पनी के स्वामी का नाम, फर्म/कम्पनी के निदेशक, फर्म/कम्पनी के साझेदारों का नाम अंकित हो।		
2-	पंजीकरण हेतु प्रक्रिया शुल्क की धनराशि का विवरण- (2000+18% GST) ड्राफ्ट संख्या.....तिथि..... धनराशि रू० 2360/- जारीकर्ता बैंक का नाम.....		
3-	बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यान भवन चौबटिया रानीखेत के नाम बन्धक हो-1. बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद संख्या.....जारी करने की तिथि.....वैधता तिथि 31.03.2024 धनराशि रू० 2.00 लाख, बैंक का पूर्ण नाम व पता.....		
4-	फर्म का पैन नम्बर का प्रमाण-पत्र		
5-	फर्म जी.एस.टी. की छायाप्रति		
6-	विभाग द्वारा निर्धारित कोरोगेटेड बॉक्स एवं कोरोगेटेड बाक्स मय एप्पल ट्रे की विशिष्टियां (Specification Annexure-1) की हस्ताक्षरित प्रति।		
7-	फर्म/कम्पनी/व्यवसाई के विरुद्ध किसी प्रदेश में आपूर्ति विषयक कोई विवाद/विधिक कार्यवाही/अपराधिक कार्यवाही अथवा फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है, जैसी भी स्थिति हो, से अवगत कराते हुए शपथ पत्र रू० 100/- के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर मूल रूप में जमा करना होगा।		
8-	फर्म/कम्पनी/व्यवसायी को कोरोगेटेड बॉक्स एवं कोरोगेटेड बॉक्समय एप्पल ट्रे की दी गई दरों के सम्बन्ध में रू० 100.00 के नोटेराईज्ड शपथ पत्र में शपथ लेनी होगी कि उनके द्वारा पंजीकरण हेतु दी गई दरें न्यूनतम हैं तथा उनके द्वारा किसी अन्य राज्य/संस्था/विभाग को दी गई दरों से कम दरों पर पंजीकरण की अवधि तक आपूर्ति नहीं की जायेगी।		
9-	देश से बाहर की फर्म/कम्पनी होने पर उनकी देश में Authorized Dealership का प्रमाण।		

10-	फर्म/कम्पनी को कोरोगेटेड बॉक्स एवं कोरोगेटेड बाक्स मय एप्पल ट्रे की निर्माण व आपूर्ति का न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव होना चाहिये। अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त किया गया हो।		
11-	फर्म/कम्पनी द्वारा कोरोगेटेड बॉक्स एवं कोरोगेटेड बाक्स मय एप्पल ट्रे निर्धारित स्पेसीफिकेशन के अनुसार आपूर्ति करने हेतु सहमत होने का प्रमाण पत्र।		
12-	पंजीकरण हेतु मूल उत्पादक कम्पनी/फर्म का टर्न ओवर वर्ष 2021-22 का रू0 2.00 करोड़ (रू0 दो करोड़) मात्र होना आवश्यक है, जिस हेतु सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।		
13-	कोरोगेटेड बॉक्सों की आपूर्ति उपरान्त एक वर्ष की गारन्टी/वारन्टी प्रदान करने का सहमति पत्र।		
14-	कोरोगेटेड बॉक्स एवं कोरोगेटेड बाक्स मय 06 एप्पल ट्रे का निःशुल्क एक-एक नमूना।		

नोट- उपरोक्त सभी कालम पूर्ण रूप से स्वयं अथवा प्राधिकृतकर्ता द्वारा भरे जाने होंगे तथा प्रमाण पत्र दिया जाना होगा कि उपरोक्त सभी कालम में दी गयी सूचनाएँ सत्य एवं प्रमाणित हैं। पंजीकरण के साथ अनावश्यक प्रपत्र संलग्न न किये जायें। आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या अंकित करना अनिवार्य है तथा तकनीकी बिड में भी पृष्ठ संख्या अंकित की जाय।

प्रमाण-पत्र

मेरे द्वारा उपरोक्त पंजीकरण की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अध्ययन कर लिया गया है तथा उक्त सभी शर्तों पर अपनी पूर्णतः सहमति प्रदान करता हूँ।

आवेदक/प्राधिकर्ता के हस्ताक्षर
आवेदक/प्राधिकर्ता आवेदक का नाम-
फर्म का नाम/पता/ सील
फोन नम्बर-
ईमेल-

Annexure -1

आपूर्ति किये जाने वाले कोरोगेटेड बॉक्स पर लगने वाले पेपर का **Inner and Outer Speciation** निम्नवत होना चाहिए :-

200 GSM not less than 30 BF white craft (imported)

2nd paper : 180 GSM 20 BF

3rd Paper : 180 GSM 20 BF सफेद रंग की Imported 200 GSM का वर्जिन काफ्ट पेपर लगाना होगा।

आड़ू, प्लम, खुबानी, नाशपाती, आम, लीची, अमरूद इत्यादि फलों की पैकिंग हेतु कोरोगेटेड बॉक्स आपूर्ति हेतु तकनीकी विशिष्टियाँ-

Technical Specification for Corrugated Box

1	Dimension (In cm)	
a	Outer	41X25X20
b	No. of Plies	5
2	Description – a- Duplex 300 gsm hwc b- Fourply 180/22bf	
3	Bursting strength kg/sq cm for 2 pieces inner as well as outer taken together	16-18 ($\pm 5\%$)
4	Compression strength (in kg) of complete carton	450 ($\pm 5\%$)
5	Moisture contents	8% to 10%
6	Copp value (30 Minutes)	Less than 170 gsm
7	Printing	Four color printing
8	Design and printing matter of box	Enclosed with tender's terms and condition's

सेब फलों की पैकिंग हेतु कोरोगेटेड बॉक्समय एप्पल ट्रे आपूर्ति हेतु तकनीकी विशिष्टियाँ-

Technical Specification for Apple Trays

1	Dimension (In mm)	Length 490	Breadth 290
2	Weight of Trays	95-100 gm/tray	
3	Holes if any	Nil	
4	Water Repellency	15 ml water in one hour as per specification	
5	Weight bearing capacity	6 kgs per tray	

Technical Specification for 20 kg Apple Corrugated Boxes (Telescopic Box)

1	Dimension (In mm)	
	Outer	510x310x280
	Inner	500X300X280
2	No. of Ply	3 Ply (outer) + 3 Ply (Inner) = 6 Ply
3	Bursting strength kg/sq cm for 2 pieces inner as well as outer taken together (Board)	20 ($\pm 5\%$)

4	Compression strength (in kg) of complete carton	Not less than 600
5	Moisture contents	Not more than 8%
6	Cobb value (30 Minuts) of Paper	Approx 140 GSM
7	Printing	offset printing
8	Design and printing matter of box	Enclosed with tender's terms and condition's
9	Weight	950 – 1000 gm/box (+2%)
10	Tare weight of cartons & Dare weight of cartons	950 – 1000 gm (±2%)
11	Paper specification Outer	200 GSM not less than 30 BF white craft (imported) 2 nd paper : 180 GSM 20 BF 3 rd Paper : 180 GSM 20 BF
	Inner	200 GSM not less than 30 BF white craft (imported) 2 nd paper : 180 GSM 20 BF 3 rd Paper : 180 GSM 20 BF

Technical Specification for 10Kg apple Corrugated Boxes (Telescopic Box)

1	Dimension (In mm)	
	Outer	510x310x150
	Inner	500x300x150
2	No. of Ply	3 Ply (outer) + 3 Ply (Inner) = 6 Ply
3	Bursting strength kg/sq cm for 2 pieces inner as well as outer taken together	10(+5%)
4	Compression strength (in kg) of complete carton	
5	Moisture contents	8% to 10%
6	Cobb value (30 Minuts)	Less than 170 gsm
7	Printing	offset printing
8	Design and printing matter of box	Enclosed with tender's terms and condition's
9	Weight	565 - 610gm/box (+2%)
10	Tare weight of cartons & Dare weight of cartons	565 - 610 gm/box (±2%)
11	Paper specification Outer	200 GSM not less than 30 BF white craft (imported) 2 nd paper : 180 GSM 20 BF 3 rd Paper : 180 GSM 20 BF
	Inner	200 GSM not less than 30 BF white craft (imported) 2 nd paper : 180 GSM 20 BF 3 rd Paper : 180 GSM 20 BF

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड

उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत, अल्मोड़ा

दूरभाष:- 05966-220260 / 0135-2759799

पंजीकरण हेतु वित्तीय प्रपत्र-2

(रु० में)

क्र० सं०	मद का नाम	फर्म/कम्पनी की दर प्रति नग में	जी०एस०टी०	फर्म/कम्पनी की दर प्रति नग में जी.एस.टी. + FOR (जिला मुख्यालय) सहित
1.	आड़ू, प्लम, खुबानी, नाशपाती, आम, लीची, अमरुद इत्यादि फलों की पैकिंग हेतु कोरोगेटेड बॉक्स 10 कि०ग्रा० क्षमता			
2.	सेब फलों की पैकिंग हेतु कोरोगेटेड बॉक्स मय एप्पल ट्रे 20 कि०ग्रा० क्षमता के Telescopic Box			
3.	सेब फलों की पैकिंग हेतु कोरोगेटेड बॉक्स मय एप्पल ट्रे 10 कि०ग्रा० क्षमता के Telescopic Box			

नोट- उपरोक्त सभी कालम पूर्ण रूप से स्वयं अथवा प्राधिकृतकर्ता द्वारा भरे जाने होंगे तथा प्रमाण पत्र दिया जाना होगा कि उपरोक्त सभी कालम में दी गयी सूचनाएँ सत्य एवं प्रमाणित हैं। पंजीकरण के साथ अनावश्यक प्रपत्र संलग्न न किये जायें।

प्रमाण-पत्र

मेरे द्वारा उपरोक्त पंजीकरण की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अध्ययन कर लिया गया है तथा उक्त सभी शर्तों पर अपनी पूर्णतः सहमति प्रदान करता हूँ।

आवेदक/प्राधिकर्ता के हस्ताक्षर

आवेदक/प्राधिकर्ता का नाम-

फर्म का नाम/पता/ सील

फोन नम्बर-

ईमेल-

4